

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2022

विषय: गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के तट अथवा उसके बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों को निर्माण मुक्त जोन घोषित करने हेतु कार्ययोजना बनाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-204/76-2-2022-05एन०जी०/2020 दिनांक 02.06.2022 (छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण, 2016 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ग्रस्त मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाने हेतु तत्काल समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रगति आख्या से दिनांक 25.06.2022 तक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्त पत्र दिनांक 02.06.2022 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के संबंध में सुस्पष्ट आख्या/अभिमत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ (नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या : 1381 (1)/आठ-3-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि :- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र दिनांक 02.06.2022 (छायाप्रति संलग्नक) के अपेक्षानुसार सम्बन्धित अभिकरणों से आख्या प्राप्त कर समेकित आख्या/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,


(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2022

विषय:- गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के तट अथवा उसके बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों को निर्माण मुक्त जोन घोषित करने हेतु कार्ययोजना बनाने विषयक।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली, में योजित ओ.ए. वाद संख्या-200/2014, M.C. Mehata v/s Union of India व अन्य में गंगा नदी के संरक्षण हेतु पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में नदियों के किनारे 100 मीटर के दायरे को निर्माण मुक्त जोन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-

Demarcation of flood plains and connected directions-


"We direct that the 100 meters from the edge of the river would be designated as no development/construction zone in Segment B of Phase-I i.e. Haridwar to Unnao, Kanpur". (Page- 486)

2- आप अवगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के शासनादेश क्रमांक-164/2020/2031/20-27-सिं0-4-07(एन.जी.टी.)/16 टी.सी., दिनांक 04.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये गये हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

3- अतएव, आपसे अपेक्षा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण, 2016 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ग्रस्त मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाने हेतु तत्काल समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रगति आख्या से दिनांक 25.06.2022 तक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, 30प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

S. D-3


06-6-22

श्री पवन
8/6/22

Signed by दुर्गा शंकर
दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 01-06-2022 13:10:02
Reason: Approved

sl-75

54396/AS/122

सचिव/आ-3



03-06-22

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

3568/sec/11

D.S (AS)

06-06-22

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र० शासन।

संख्या-204(1)/76-2-2022-05एन.जी./2020 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- ।

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-232/प्र0अ0/मु0अ0ज0सं0, दिनांक 06 अगस्त, 2020 द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेंट जोन/रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड/लैटिट्यूड एवं नो डेवलपमेंट जोन/रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया है।

(2)

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण होने पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी फेज-1 (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से 100 मी० तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ०प्र० एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

4. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड, बुलंदशहर, अलीगढ़, काशीराम नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सम्भल, वदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्युलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड उपलब्ध कराये गये हैं।

5. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्युलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है:-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	बिजनौर	संलग्नक-1 (क) एवं 1 (ख)
2.	अमरोहा	संलग्नक-2 (क) एवं 2 (ख)
3.	मुजफ्फरनगर	संलग्नक-3 (क) एवं 3 (ख)
4.	मेरठ	संलग्नक-4 (क) एवं 4 (ख)
5.	हापुड	संलग्नक-5 (क) एवं 5 (ख)
6.	बुलंदशहर	संलग्नक-6 (क) एवं 6 (ख)
7.	अलीगढ़	संलग्नक-7 (क) एवं 7 (ख)
8.	काशीराम नगर	संलग्नक-8 (क) एवं 8 (ख)
9.	फर्रुखाबाद	संलग्नक-9 (क) एवं 9 (ख)
10.	कन्नौज	संलग्नक-10 (क) एवं 10 (ख)
11.	सम्भल	संलग्नक-11 (क) एवं 11 (ख)
12.	वदायूँ	संलग्नक-12 (क) एवं 12 (ख)
13.	शाहजहांपुर	संलग्नक-13 (क) एवं 13 (ख)
14.	हरदोई	संलग्नक-14 (क) एवं 14 (ख)
15.	उन्नाव	संलग्नक-15 (क) एवं 15 (ख)
16.	कानपुर	संलग्नक-16 (क) एवं 16 (ख)

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्युलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं।

6. जनपद के सिंचाई विभाग उ०प्र० के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिशासी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्युलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंट जोन में निम्न प्रकार की गतिविधियां ही अनुमन्य होंगी:-

- (i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त दैविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।
- (ii) एमओओइओएफओ एण्ड मीओसीओ की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिबर वेड मैटेरियल का ध्वनन।
- (iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।
- (iv) जैविक खेती।
- (v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।
- (vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिबर वाटर वे की डिसिल्टिंग।
- (vii) क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।
- (viii) नदी के किनारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कच्चे रास्तों का निर्माण।
- (ix) जल परिवहन, जल क्रीडा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियां।
- (x) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।
- (xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-6(3) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना संओ-एसओओ-3187(इ), दिनांक 7 अक्टूबर 2016 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्युलेटरी जोन में निम्न गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

- (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।
- (ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लिथ लेवल फ्लड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेवल 100 वर्ष के बाढ़ के लेवल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।
- (iii) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।
- (iv) प्रदूषण मुक्त घरेलू उद्योग।
- (v) पुलों, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।
- (vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।
- (vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।
- (viii) जल क्रीडा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां।
- (ix) स्टोन क्रसिंग प्लांट।

उक्त जोन को रेग्युलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(4)

10. जिलाधिकारी स्तर पर नो डेवलपमेंट/रेग्युलेटरी जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्रत्येक माह इन सम्बन्ध में बैठक आहूत कर उक्त बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करते हुए सुसंगत आख्या शासन को उपलब्ध करायेगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटवाने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
11. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत नो डेवलपमेंट/रेग्युलेटरी जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा, और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
12. ऐसे क्षेत्र जो बिन्दु सं0-(6), (7) एवं (10) से अच्चादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाये।
13. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पावर (एक्सीजीशन एवं रिव्हीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।
14. सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नदियों के नो डेवलपमेंट/रेग्युलेटरी जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाये कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की बसूती अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाये। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त प्रस्तर (10) तथा (11) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।
15. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से नो डेवलपमेंट/रेग्युलेटरी जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
16. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था नो डेवलपमेंट/रेग्युलेटरी जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
17. नो डेवलपमेंट/रेग्युलेटरी जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
18. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएँ उपलब्ध न कराई जायें।
19. प्रकरण में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के दिनांक 06.08.2020 के उपरोक्त प्रस्तावानुसार मा0 एन0जी0 टी0 के आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 की सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेंट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत करते हुए अधिसूचित जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायेगी।
20. उक्त शासनादेश पूर्व में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत किया जा रहा है।
21. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अनिल गर्ग)
सचिवा